**Seventeenth Loksabha**

>

Title: Regarding the use of Hindi language in the agreement papers necessary for Agricultural loan given by banks to farmers

**डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी):** महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

महोदय, मैं किसानों को दिये जाने वाले कृषि ऋण के संदर्भ में बात करना चाहती हूँ । कृषि ऋण में किसानों के साथ बैंक जो एग्रीमेंट करते हैं, वह अंग्रेजी भाषा में करते हैं । लगभग सभी किसान अंग्रेजी को नहीं जानते हैं । उस एग्रीमेंट पर बैंक अधिकारी किसानों से हस्ताक्षर करवा लेते हैं ।

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय मंत्री जी, इस पर नोटिस किया जाए । यह विषय गंभीर है । आप इस पर नोटिस करें ।

**डॉ. भारती प्रवीण पवार:** महोदय, धन्यवाद । किसान भी मजबूरी में उस पर साइन कर देते हैं । एग्रीमेंट की मुख्य बातें भी किसानों को कई बार नहीं बताई जाती हैं, जिसके कारण भारत सरकार द्वारा बनाई गई उपरोक्त कृषि ऋण योजना के नियमों की जानकारी न मिलने से किसान इन नियमों को समझ नहीं पाते हैं । यह एग्रीमेंट पेपर बैंक द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है । कृषि ऋण का एग्रीमेंट पेपर हिन्दी या स्थानीय भाषा में होना चाहिए, जिससे किसान कृषि ऋण योजना को अच्छी तरह से जान सके और अपने हक को प्राप्त कर सके ।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री जगदम्बिका पाल जी ।

भारती जी, आपका विषय आ गया है । नोटिस ले लिया है ।

**डॉ. भारती प्रवीण पवार :** महोदय, धन्यवाद ।

**माननीय अध्यक्ष :** कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री राहुल रमेश शेवले और डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे को डॉ. भारती प्रवीण पवार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।